

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16:9873/15644

08 02 2023

विषय: खिलौनों की सुरक्षा के लिए संशोधित उत्पाद नियमावली

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।
- 2) खिलौनों की सुरक्षा के लिए संशोधित उत्पाद नियमावली BIS वेबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual" के अंदरहोस्ट कर दिया गया है
- 3) उत्पाद नियमावली को ध्वनिक आवश्यकताओं (आईएस 9873 (भाग 1): 2019 का Cl. 4.29) के परीक्षण के लिए आवृत्ति में छूट देने के लिए (महीने में एक बार से छह महीने में एक बार (या जब भी डिजाइन में कोई बदलाव होता है)) संशोधित किया गया है।
- 4) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमे SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं अनुज्ञप्तिधारकों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(आदित्य दास)
वैज्ञानिक-डी

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक(प्रमाणन)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16: 9873/15644

08 02 2023

Subject: Revised product manual for safety of toys

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for safety of toys has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual". (PM/ 9873/10 Feb 2023)
3. The product manual has been revised to relax the frequency for the test for Acoustic requirements (Cl 4.29 of IS 9873 (Part 1):2019) from once a month to once in six months (or whenever there is a change in design of toy)
4. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all licensees and applicants within 7 days.

(Aditya Das)
Scientist-D

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet